# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 1890/2024**

डॉ. देवी नारायण शर्मा **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग एवं पंचायत राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. पीएमओ/प्रभारी, जिला अस्पताल, दौसा।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 29.05.2024

**आदेश की दिनांक** : 17.03.2025

**उपस्थित –**

**अपीलार्थी की ओर से** : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक

**समक्ष :– विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष**
**अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रमुख विशेषज्ञ (मेडिसन) के पद पर जिला चिकित्सालय, फलौदी में कार्यरत है। उनका कथन है कि आलोच्य आदेश दिनांक 24.01.2024 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में शिकायत आधार पर रखते हुये आदेश जारी किया गया है।

उनका कथन है कि अपीलार्थी को सुनवाई का मौका दिये बिना इस तरह आदेश उसके विरूद्ध जारी नहीं किया जा सकता। अपीलार्थी प्रमुख विशेषज्ञ, जिला चिकित्सालय, दौसा में कार्यरत है। अपीलार्थी की हमेशा सेवायें संतोषजनक रही हैं। उसके विरूद्ध कभी कोई शिकायत नहीं रही, परंतु आलोच्य आदेश के द्वारा उसे आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है और आदेश दिनांक 27.01.2024 के द्वारा कार्यमुक्त कर दिया गया, उसके विरूद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं हुये। अपीलार्थी ने आलोच्य आदेश की पालना में जिला चिकित्सालय, फलौदी कार्यग्रहण कर लिया है। अपीलार्थी का स्थानांतरण शिकायत आधार पर किया गया है और इस तरह के स्थानांतरण माननीय अधिकरण द्वारा उचित नहीं माने गये हैं। उक्त आलोच्य आदेश आरएसआर नियम 25ए के विपरीत जारी किया गया है और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी इस प्रकार के आदेशों को उचित नहीं माना गया है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 24.01.2024 एवं 22.02.2024 को अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान जिला दौसा में कार्यरत रखा जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया। अपीलार्थी वर्तमान में प्रमुख विशेषज्ञ (मेडिसन) के पद पर जिला चिकित्सालय, फलौदी में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 24.01.2024 के द्वारा अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में शिकायत आधार पर रखते हुये आदेश जारी किया गया है। आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध शिकायत/जिला स्तरीय कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया, परंतु हम वर्तमान मामले में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। ऐसी स्थिति में हम मामलें की वर्तमान परिस्थिति एवं तथ्यों तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते

हैं कि अपीलार्थी आगामी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 10723/2024 बलराज बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित निर्देशों की पालना में राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर द्वारा अभ्यावेदन निस्तारण के संबंध में दिनांक 08.10.2024 को परिपत्र जारी कर समस्त विभागों को यह निर्देश दिये गये हैं कि अभ्यावेदन प्राप्ति दिनांक से अधिकतम 30 दिवस में अभ्यावेदन का निस्तारण कर आदेश जारी करें। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक (ग्रुप–6) विभाग के उक्त परिपत्र दिनांक 08.10.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अपीलार्थी का अभ्यावेदन संबंधित विभाग द्वारा अभ्यावेदन प्राप्ति दिवस से अधिकतम 30 दिवस में निस्तारण करना सुनिश्चित करें एवं अभ्यावेदन निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को देवें।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**

**(विकास सीतारामजी भाले)**
**अध्यक्ष**